सेवा में,

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, फरीदकोट हाउस,
कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली -110001.

Case No. 815/2022,
Suresh Chand v/s D.M. Kapashera & Others
NDOH- 13.12.2023

विषय :- **गाँव कांगनहेड़ी खसरा न. 111(तालाब) पर किये गए अतिक्रमण को हटवाने व दिल्ली जल बोर्ड द्वारा डाली गई अवैध सीवर लाइन को हटवाने व तालाब की चारदीवारी करवाने के संदर्भ में पत्र !**

माननीय महोदय,

निवेदन इस प्रकार है की हमारे गाँव कांगनहेड़ी में एक तालाब है जिसका खसरा न. 111 है ! इस तालाब की पैमाइश दिनांक 03/09/2013 को हुई थी ! पैमाइश के अनुसार तालाब की काफी जमीन पर खसरा न. 112, 257, 258, 274 व 239/2 के मकान मालिकों के द्वारा अवैध कब्जे पाए गए ! कुछ व्यक्तियों ने तालाब में दरवाजे लगाए हुए हैं ! खसरा न. 112, 258, 274 एक ही परिवार हरिराम वगैहरा के हैं वर्ष 2014 में इन्होने पैमाइश पर आपत्ति करके अदालत में केस दायर किया अदालत ने सभी पक्षों को सुना, सुनने के बाद अदालत ने दिनांक 14.01.2019 व 13.08.2019 को हरिराम वगैहरा की अपील को ख़ारिज कर दिया ! मैंने तालाब से अवैध कब्जे हटवाने के लिए काफी पत्र दिए लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई !

माननीय महोदय मैंने दिनांक 27.04.2022, 05.09.2022 व 19.12.2022 को दिल्ली जल बोर्ड के अधिशासी अभियंता (C) Dr. डिवीज़न -14 नजदीक साईं बाबा मंदिर नजफगढ़ जोन के कार्यालय में सूचना दी कि हमारे गांव कांगनहेड़ी में सीवर की लाइनें डालने की योजना बन रही है ! खसरा न. 111 (तालाब) की जमीन पर अवैध कब्जे है तालाब की तरफ खसरा न. 112,257,258 व 274 के मालिकों ने तालाब की जमीन में अवैध दरवाजे खोले हुए हैं ! इसलिए उपरोक्त खसरा नंबरों के आगे तालाब की जमीन पर विकास खंड अधिकारी नजफगढ़ की अनुमति के बिना कोई भी सीवर लाइन नहीं डाली जाये लेकिन दिनांक 21.10.2023 को अधिशासी अभियंता (C) Dr. डिवीज़न -14 ने तालाब में सीवर लाइन डाल दी ! जिसकी शिकायत मैंने दिनांक 23.10.2023 को संबंधित कार्यालय व सुचना विकास खंड अधिकारी नजफ़गढ़ को दी ! तब विकास खंड अधिकारी ने दिनांक 1.11.2023 को तालाब की भूमि से सीवर लाइन हटाने के लिए अधिशासी अभियंता (C) Dr. डिवीज़न -14 को पत्र भेजा लेकिन संबंधित कार्यालय ने अभी तक तालाब से सीवर लाइन को नहीं हटाया !

माननीय महोदय मेरा केस न. 815/2022 है व सुनवाई की तारीख 13.12.2023 है! मैं शिकायत पत्र व विकास खंड अधिकारी के द्वारा लिखे पत्र साथ लगा रहा हूँ ! कृपया करके मेरे द्वारा ऑनलाइन भेजे गए दस्तावेजों को स्वीकृत किया जाये और उपरोक्त मामले में संज्ञान लेने की कृपा करे !

संग्लन: ५ पेज

धन्यवाद

दिनांक:– 6-12-2023

प्रार्थी

सुरेशचंद

सुरेशचंद सपुत्र श्री हरनारायण सिंह,
गाँव कांगनहेड़ी, डाकखाना छावला,
9540110446 नई दिल्ली - 110071

अनुस्मारक- प्रथम

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी दक्षिण-पश्चिम जिला
खड़खड़ी नाहर, सरकारी नर्सरी, नजफगढ़, नई दिल्ली- 110043

दिनाँक : 10/11/2023

पत्र संख्या : 1224-1227

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता (सिविल डिविज़न - 14)
दिल्ली जल बोर्ड, नियर साई बाबा मन्दिर,
नजफगढ़, नई दिल्ली– 110043.

विषय: गाँव काँगनहेड़ी में खसरा नं. 111 (तालाब/ जोहड़) की भूमि से सीवर लाईन हटाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है (प्रतिलिपि संलग्न)। जिसमें बताया गया है कि खसरा नं. 111 (तालाब/ जोहड़) की भूमि में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कुछ भाग में सीवर की पाईप लाइन डाल दी गई है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित स्टॉफ द्वारा मौका देखा गया तथा पाया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर पाईप लाइन डाली हुई है।

इस सम्बन्ध में कहना है कि खसरा नं. 111 (तालाब/ जोहड़) से सम्बन्धित केस माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में आपको पत्र संख्या 1188-1190 दिनाँक 01-11-2023 के माध्यम से भी अवगत कराया गया था। कि जोहड़ की भूमि में डाली गई सीवर पाईप लाइन को तुरन्त प्रभाव से हटाकर स्टेटस रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाए लेकिन अभी तक अवैध रूप से जोहड़/ तालाब खसरा नं. 111 की भूमि में डाली गयी सीवर लाईन को हटाया नहीं गया है।

अतः आपसे पुनः आग्रह है कि सीवर पाईप लाईन को तुरन्त हटाकर स्टेटस रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजने की कृपा करे ताकि खसरा नं. 111 (जोहड़/ तालाब) की स्टेटस रिपोर्ट से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) तथा उच्च अधिकारी को अवगत कराया जा सके। यदि उपरोक्त कार्यवाही समय से न करने के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो उसका जिम्मेवार दिल्ली जल बोर्ड होगा।

संल्गनकः– शिकायत पत्र व मौका फोटोग्राफस

भवदीय
10/11/23
(राकेश शर्मा)
ख.वि.अ. (द./प.)
Block Development Officer South-West District, Delhi Kharkhari Nahar Govt Nursery Najafgarh, New Delhi-110043

दिनाँक :

पत्र संख्या :

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्री वी.के. टंडन, कोर्ट कमीश्नर, दिल्ली उच्च न्यायालय, चैम्बर नं. 404, नई दिल्ली
2. सदस्य सचिव (दिल्ली वेटलेन्ड ऑथोरिटी), 6वाँ तल, पर्यावरण विभाग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली
3. अजिता दयाल अग्रवाल (वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता), सी.एम.सी.-2, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी, 5वाँ तल, अन्तर्राज्यीय बस अड्डा कश्मीरी गेट, दिल्ली- 110075.

10/11/23
ख.वि.अ. (द./प.)
Block Development Officer South-West District, Delhi Kharkhari Nahar Govt Nursery Najafgarh, New Delhi-110043

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी दक्षिण-पश्चिम जिला

खड़खड़ी नाहर, सरकारी नर्सरी, नजफगढ़, नई दिल्ली- 110043

पत्र संख्या : 1188-1190 दिनाँक : 01/11/23

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता (सिविल डिविज़न - 14)
दिल्ली जल बोर्ड, नियर साई बाबा मन्दिर,
नजफगढ़, नई दिल्ली– 110043.

विषय: गाँव काँगनहेड़ी में खसरा नं. 111 (तालाब/ जोहड़) की भूमि से सीवर लाईन हटाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है (प्रतिलिपि संलग्न)। जिसमें बताया गया है कि खसरा नं. 111 (तालाब/ जोहड़) की भूमि में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कुछ भाग में सीवर की पाईप लाइन डाल दी गई है। जो कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित स्टॉफ द्वारा मौका देखा गया तथा पाया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर पाईप लाइन डाली हुई है।

इस सम्बन्ध में कहना है कि खसरा नं. 111 (तालाब/ जोहड़) से सम्बन्धित केस माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल **(NGT)** में विचाराधीन है। अतः माननीय न्यायालय को ध्यान में रखते हुए जोहड़ की भूमि में डाली गई सीवर पाईप लाइन को तुरन्त प्रभाव से हटाकर स्टेटस रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को भेजने की कृपा करे ताकि खसरा नं. 111 (जोहड़/ तालाब) की स्टेटस रिपोर्ट से माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) तथा उच्च अधिकारी को अवगत कराया जा सके। यदि उपरोक्त कार्यवाही समय से न करने के उपरान्त माननीय न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है तो उसका जिम्मेवार दिल्ली जल बोर्ड होगा।

संल्गनकः– शिकायत पत्र व मौका फोटोग्राफस

भवदीय

(राकेश शर्मा)
ख.वि.अ. (द./प.)

पत्र संख्या : दिनाँक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. श्री वी.के. टंडन, कोर्ट कमीश्नर, दिल्ली उच्च न्यायालय, चैम्बर नं. 404, नई दिल्ली
2. नोडल ऑफिसर (वाटर बोडिस), 6वाँ तल, पर्यावरण विभाग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली

ख.वि.अ. (द./प.)

सेवा मे

श्रीमान विकास खण्ड अधिकारी
नजफगढ़ जोन नई दिल्ली

विषय :- गाँव कांगनहेड़ी खसरा न: 111 (तालाब/जोहड़) पर सीवर लाईन के संदर्भ मे सुचना पत्र !

महोदय,

हमारे गाँव कांगनहेड़ी मे एक तालाब है जिसका खसरा न: 111 है ! इस तालाब का कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा है ! प्रशासन ने दिनांक 3-9-2013 को तालाब की पैमाईश कराई थी ! पैमाईश के अनुसार तालाब की काफी जमीन पर खसरा न: 112, 257, 258, 274 व 239/2 के मालिकों के द्वारा अवैध कब्जे पाये गये इन व्यक्तियों ने तालाब मे दरवाजे लगाये हुए है। खसरा न. 112, 258, 274, हरिराम वगैरह के है इन्होने पैमाईश पर आपत्ति करके अदालत मे केस दायर किया था ! हरिराम वगैरह केस हार गये !

महोदय मैने दिनांक 21-10-2022 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (N.G.T.) मे केस दायर किया कि तालाब से अवैध कब्जे हटवाये जाये। मेरे केस का न. 815/2022 है। इस केस मे सुनवाई की अगली तारिख 13-12-2023 लगी हुई है !

महोदय मै इस पत्र के द्वारा आपको अवगत करा रहा हूं कि जिन व्यक्तियों ने तालाब पर अवैध कब्जे किये हुए है इन्ही ने दिनांक 21-10-2022 को अधिशासी अभियन्ता (C) DW. डिविजन-14 नजफगढ़ के अधिकारियो से मिल कर तालाब मे सीवर लाईन डलवा ली ! इसकी जांच करवाई जाये व तालाब मे सीवर लाईन को हटवाया जाये ताकि तालाब को बचाया जा सके !

धन्यवाद

दिनांक 23-10-2023

प्रार्थी
सुरेशचन्द
सुरेश चन्द सपुत्र श्री हरनारायण सिंह
गाँव कांगन हेड़ी डा० छावला
नई दिल्ली 110071

Block Development Officer South-West
Najafgarh, New Delhi
Dairy No. 1302
Date 3/11/2[illegible]

सेवा मे,

EE (C) DR.-XIV
Dairy No. 1524
Date 23/10/23
DELHI JAL BOARD

श्रीमान अधिशासी अभियन्ता (C) Dr.
डिविजन - 14 नजफगढ़ जोन
नई दिल्ली :- 110043

विषय :- गाँव कागंनहेड़ी खसरा नं. 111 (तालाब/जोहड़) के संदर्भ मे सूचना पत्र !

महोदय,

हमारे गाँव कागंनहेड़ी मे एक तालाब है जिसका खसरा नं. 111 है! इस तालाब का कुल रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा है! प्रशासन ने दिनांक 3-9-2013 को तालाब की पैमाईश कराई थी! पैमाईश के अनुसार तालाब की काफी जमीन पर खसरा नं. 112, 257, 258, 274 व 239/2 के मालिकों के द्वारा कब्जे पाये गये! इन व्यक्तियों ने तालाब मे दरवाजे लगाये हुए है! खसरा नं. 112, 258, 274 हरिराम वगैरहा के है! इन्होंने पैमाईश पर आपत्ति करके अदालत मे केश दायर किया था! हरिराम वगैरहा केश हार गये! मैंने फैसले की कापी दिनांक 27-4-2022 को आपके कार्यालय मे जमा करा दी थी!

महोदय मैंने दिनांक 21-10-2022 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (N.G.T.) मे केश दायर किया कि तालाब से अवैध कब्जे हटवाए जाये मेरे केश का नं. 815/2022 है इस केश मे अगली सुनवाई की तारीख 13-12-2023 लगी हुई है!

महोदय मै इस पत्र के द्वारा आपको अवगत करा रहा हूँ कि तालाब की जमीन का मालिक विकास खण्ड अधिकारी (B.D.O) है! मैंने पहले भी आपके कार्यालय मे दिनांक 27-4-2022, 5-9-2022 व 19-12-2022 को इन पत्रों के द्वारा सुचना दी हुई कि उपरोक्त खसरा नम्बरों के आगे या तालाब के किसी भी हिस्से पर विकास खण्ड अधिकारी नजफगढ़ (B.D.O) की परमिशन के बिना कोई भी सीवर लाईन नही डाली जाये! लेकिन आपके अधिकारी ने दिनांक 21-10-2023 को तालाब मे सीवर लाईन डलवा दी! इसकी जांच करवाई जाये! व तालाब मे से डाली गई सीवर लाईन को हटाया जाये ताकि तालाब को बचाया जा सके! मै फैसले की कापी व अवैध कब्जे की रिपोर्ट की कापी पत्र के साथ लगा रहा हूं!

धन्यवाद

दिनांक :- 23-10-2023

संलग्न :- पेज -26

प्रार्थी

(सुरेशचंद)

सुरेश चंद सुपुत्र श्री हरनारायण सिंह
गाँव कागंनहेड़ी डा. छावला
नई दिल्ली : 110071